

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)बी के अर्न्तगत 16 श्रेणियों की सूचनाए निम्नवत है:-

क्र० सं०	सू०का०अधि०अधि० की धारा 4(1) बी के अर्न्तगत 16 श्रेणियों की सूचना	संगठन स्तर से सम्बन्धित उत्तर
1	अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य;	<p>ई०ओ०डब्लू० द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, निगमों, परिषदों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं में किये गये आर्थिक अपराधों तथा विभिन्न योजनाओं में आर्थिक अनियमितताओं एवं दुर्विनियोग से सम्बन्धित प्रकरणों, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों/प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे अपराधों, जिनमें राजस्व क्षति निहित हो तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकार से सम्बन्धित मामलों में की गई धोखाधड़ी की जाँच/विवेचना की जाती है।</p> <p>इसके अतिरिक्त इस संगठन द्वारा आर्थिक अपराध से सम्बन्धित अभिसूचना संकलन का कार्य भी शासनादेश दिनांक:18.09.1972 में दी गयी व्यवस्थानुसार की जाती है।</p>
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य;	शासनादेश सं०:482/25-8-2015-39(11)/70, दिनांक:23.06.2015 एवं उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन व पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार प्रदत्त कर्तव्य/शक्तियाँ।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है;	<p>इस संगठन द्वारा शासन के गृह विभाग द्वारा संदर्भित जाँच/विवेचना का कार्य किया जाता है। संगठन द्वारा कोई जाँच/विवेचना स्वतः नहीं किया जाता है। शासन से प्राप्त प्रकरणों की जाँच/विवेचना इस संगठन के अर्न्तगत कार्यरत 06 सेक्टरों द्वारा की जाती है। निरीक्षक/विवेचक का पर्यवेक्षण सेक्टर स्तर पर नियुक्त सेक्टर प्रभारी पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाता है। जाँच विवेचना पूर्ण होने पर अंतिम प्रगति आख्या संगठन के मुख्यालय पर प्रेषित की जाती है, इन आख्याओं का परीक्षण मुख्यालय में नियुक्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक/अपर पुलिस महानिदेशक एवं संगठन में नियुक्त जे०डी०/एस०पी०ओ० द्वारा किया जाता है, तत्पश्चात पुलिस महानिदेशक, ई०ओ०डब्लू० के अनुमोदन के उपरान्त आख्या शासन के गृह विभाग को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है। शासन से आख्या स्वीकृत होने के उपरान्त तदनुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।</p>

4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान;	इस संगठन द्वारा जाँच/विवेचना पूर्ण निष्पक्षता व पारदर्शिता के साथ की जाती है, प्रत्येक स्तर पर संगठन में नियुक्त विधिक अभियोजन अधिकारियों द्वारा विवेचना के दौरान उपलब्ध/संकलित अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्यों की समीक्षा की जाती है। पर्याप्त एवं पुष्टकारक साक्ष्य उपलब्ध होने पर ही आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;	शासनादेश सं0:482/25-8-2015-39(11)/70, दिनांक:23.06.2015 एवं उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन व पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार प्रदत्त कर्तव्य/शक्तियाँ।
6	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण;	इस संगठन द्वारा मुख्य रूप से जाँच/विवेचना के मध्य संकलित किये गये अभिलेखीय साक्ष्य आरोपियों एवं सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया जाता है। इन अभिलेखों में जाँच किये जा रहे विभागों के अन्तरिक क्रिया-कलापों का विवरण रहता है, जिसका सीधा सम्बन्ध विवेचना से होता है तथा कभी-कभी एकत्र किये गये अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में निर्देशानुसार मा० न्यायालय में भी प्रस्तुत करना होता है। अतः उनका सार्वजनिक किया जाना समीचीन नहीं है।
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है;	इस संगठन स्तर पर नीति की संरचना या कार्यान्वयन हेतु जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए अथवा अभ्यावेदन के लिए कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं है। शासन के गृह विभाग द्वारा निर्धारित नीति एवं निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही इस संगठन द्वारा की जाती है।
8	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण;	उपरोक्त प्रकरण में बिन्दु संख्या 07 में स्पष्ट किया गया है।

9	<p>अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;</p> <p style="text-align: center;">आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन में नियुक्त अधिकारी गण के पदनाम व मोबाइल नम्बर</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>पुलिस महानिदेशक</td> <td>9454400107</td> </tr> <tr> <td>पुलिस महानिरीक्षक</td> <td>9454400173</td> </tr> <tr> <td>पुलिस अधीक्षक (वि०प्र०/जनसूचना अपील्य अधिकारी )</td> <td>9454402515</td> </tr> <tr> <td>पुलिस अधीक्षक (अधिष्ठान/लखनऊ सेक्टर)</td> <td>9454400322</td> </tr> <tr> <td>पुलिस अधीक्षक (वाराणसी सेक्टर)</td> <td>9454405228</td> </tr> <tr> <td>पुलिस अधीक्षक (मेरठ सेक्टर)</td> <td>9454400380</td> </tr> <tr> <td>अपर पुलिस अधीक्षक (कानपुर सेक्टर)</td> <td>9454405727</td> </tr> <tr> <td>अपर पुलिस अधीक्षक (अप०/जनसूचना अधिकारी)</td> <td>9454401150</td> </tr> <tr> <td>अपर पुलिस अधीक्षक (एस०एस०आई०टी० सेक्टर)</td> <td>9454401823</td> </tr> </table>	पुलिस महानिदेशक	9454400107	पुलिस महानिरीक्षक	9454400173	पुलिस अधीक्षक (वि०प्र०/जनसूचना अपील्य अधिकारी )	9454402515	पुलिस अधीक्षक (अधिष्ठान/लखनऊ सेक्टर)	9454400322	पुलिस अधीक्षक (वाराणसी सेक्टर)	9454405228	पुलिस अधीक्षक (मेरठ सेक्टर)	9454400380	अपर पुलिस अधीक्षक (कानपुर सेक्टर)	9454405727	अपर पुलिस अधीक्षक (अप०/जनसूचना अधिकारी)	9454401150	अपर पुलिस अधीक्षक (एस०एस०आई०टी० सेक्टर)	9454401823
पुलिस महानिदेशक	9454400107																		
पुलिस महानिरीक्षक	9454400173																		
पुलिस अधीक्षक (वि०प्र०/जनसूचना अपील्य अधिकारी )	9454402515																		
पुलिस अधीक्षक (अधिष्ठान/लखनऊ सेक्टर)	9454400322																		
पुलिस अधीक्षक (वाराणसी सेक्टर)	9454405228																		
पुलिस अधीक्षक (मेरठ सेक्टर)	9454400380																		
अपर पुलिस अधीक्षक (कानपुर सेक्टर)	9454405727																		
अपर पुलिस अधीक्षक (अप०/जनसूचना अधिकारी)	9454401150																		
अपर पुलिस अधीक्षक (एस०एस०आई०टी० सेक्टर)	9454401823																		
10	<p>अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो इसके विनियमों में यथा उपबंधित हो;</p> <p>आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ०प्र० लखनऊ के अधिकारियों/कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक शासन द्वारा निर्धारित नियमों के आलोक में पद/सेवा के अनुसार प्रदान किया जाता है।</p>																		
11	<p>सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां, उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट;</p> <p>इस संगठन को बजट पुलिस मुख्यालय के माध्यम से निम्नलिखित शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्त होता है, उनके उपभोग एवं व्यय की समीक्षा पुलिस मुख्यालय और महालेखाकार कार्यालय की टीम द्वारा की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">“2055-पुलिस आयोजनेत्तर-101 अपराधिक अन्वेषण और सतर्कता 04 अनुसंधान अनुभाग-0402 अर्थ विषयक अभिसूचना एवं अनुसंधान”</p>																		
12	<p>सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के व्योरे सम्मिलित है;</p> <p style="text-align: center;">शून्य</p>																		

13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतो, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारो के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियाँ;	शून्य				
14	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसका उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो;	शून्य				
15	सूचना अभिप्राप्त करने के नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टिया, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है ;	शून्य				
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां ;	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>श्री हफीजुर रहमान, पुलिस अधीक्षक /अपीलीय अधिकारी (जनसूचना),</b> आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0, तृतीय टावर, चतुर्थ तल, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002 ।</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>मुख्यालय, लखनऊ, एसएसआईटी</b></p> <p>श्री राज कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक (अप)/जनसूचना अधिकारी, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0, तृतीय टावर, चतुर्थ तल, गोमतीनगर विस्तार लखनऊ-226002 ।</p> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>सेक्टर वाराणसी</b></p> <p>श्री शैलेन्द्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक /जनसूचना अधिकारी, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0, पुलिस लाइन्स वाराणसी, जिला-वाराणसी ।</p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>सेक्टर कानपुर</b></p> <p>श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, इंस्पेक्टर/जनसूचना अधिकारी, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0, यातायात पुलिस लाइन कैम्पस, थाना-रेल बाजार, जिला-कानपुर नगर ।</p> </td> <td style="padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>सेक्टर मेरठ</b></p> <p>डॉ राजीव दीक्षित, पुलिस अधीक्षक /जनसूचना अधिकारी आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0, 44वीं वाहिनी पीएसी परिसर, हापुड रोड, जिला-मेरठ ।</p> </td> </tr> </table>	<p style="text-align: center;"><b>मुख्यालय, लखनऊ, एसएसआईटी</b></p> <p>श्री राज कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक (अप)/जनसूचना अधिकारी, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0, तृतीय टावर, चतुर्थ तल, गोमतीनगर विस्तार लखनऊ-226002 ।</p>	<p style="text-align: center;"><b>सेक्टर वाराणसी</b></p> <p>श्री शैलेन्द्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक /जनसूचना अधिकारी, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0, पुलिस लाइन्स वाराणसी, जिला-वाराणसी ।</p>	<p style="text-align: center;"><b>सेक्टर कानपुर</b></p> <p>श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, इंस्पेक्टर/जनसूचना अधिकारी, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0, यातायात पुलिस लाइन कैम्पस, थाना-रेल बाजार, जिला-कानपुर नगर ।</p>	<p style="text-align: center;"><b>सेक्टर मेरठ</b></p> <p>डॉ राजीव दीक्षित, पुलिस अधीक्षक /जनसूचना अधिकारी आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0, 44वीं वाहिनी पीएसी परिसर, हापुड रोड, जिला-मेरठ ।</p>
<p style="text-align: center;"><b>मुख्यालय, लखनऊ, एसएसआईटी</b></p> <p>श्री राज कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक (अप)/जनसूचना अधिकारी, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0, तृतीय टावर, चतुर्थ तल, गोमतीनगर विस्तार लखनऊ-226002 ।</p>	<p style="text-align: center;"><b>सेक्टर वाराणसी</b></p> <p>श्री शैलेन्द्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक /जनसूचना अधिकारी, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0, पुलिस लाइन्स वाराणसी, जिला-वाराणसी ।</p>					
<p style="text-align: center;"><b>सेक्टर कानपुर</b></p> <p>श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, इंस्पेक्टर/जनसूचना अधिकारी, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0, यातायात पुलिस लाइन कैम्पस, थाना-रेल बाजार, जिला-कानपुर नगर ।</p>	<p style="text-align: center;"><b>सेक्टर मेरठ</b></p> <p>डॉ राजीव दीक्षित, पुलिस अधीक्षक /जनसूचना अधिकारी आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0, 44वीं वाहिनी पीएसी परिसर, हापुड रोड, जिला-मेरठ ।</p>					